



कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक/एफ () एफसीए / उवसं/2022/ 3030
निमित्त

दिनांक : 06-05-2022

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर।

विषय:- Diversion of 248.5515 ha. Of forest Land in favour of DMG, Rajasthan in Paharpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. (FP/RJ/MIN/149012/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रस्ताव Diversion of 248.5515 ha. Of forest Land in favour of DMG, Rajasthan in Paharpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan. (FP/RJ/MIN/149012/2021) के सम्बन्ध में परिवेश पोर्टल पर प्राप्त EDS की Compliance Report निम्नानुसार है:-

Point(A)	CONDITION	COMPLIANCE
1	CA scheme Should be given for amount 688.67 lacs as proposed. Amount of forest protection wall should be taken as additional expenditure. it is not part of CA	सी.ए. राशि केवल 688.67 लाख रुपये की है। शेष 262.00 लाख रुपये सुरक्षा दीवार के रूप में अतिरिक्त सी.ए. राशि है। कुल राशि दोनो जोडकर 950.67 लाख रुपये है।
ii	Mining Plan is not Uploaded	उक्त बिन्दु की पालना में माईनिंग प्लान यूजर एजेन्सी द्वारा परिवेश पोर्टल पर पार्ट-1 में पुनः अपलोड कर दिया गया है। साथ ही उक्त माईनिंग प्लान की हार्ड कॉपी पृथक से इस कार्यालय के पत्रांक 2969 दिनांक 04.05.2022 से भिजवा दी गई है।
iii	The kml of safety zone indicating the area proposed for safety zone has not been submitted, which is required to be done. Should be inside the forest land proposed for diversion	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त बिन्दु की पालना में KML पुनः अपलोड कर दी गई है। सैफ्टी जोन की KML को श्यान कलर (CYAN COLOUR) से मार्क किया गया है। उक्त आवेदित प्रत्यावर्तित क्षेत्र में यूजर एजेन्सी द्वारा खनन पट्टो के लिये पृथक से माईनिंग प्लान का अनुमोदन किया जायेगा जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर ग्रीन बैल्ट के लिये सैफ्टी जोन रहेगा।

भवदीय

(अभिमन्यु सहारण)

उप वन संरक्षक

भरतपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर।

क्रमांक:-सखअ/रूप/भरत/मा.चि./2022/51-1

दिनांक:- 06.05.2022

श्रीमान् उपवन संरक्षक,
भरतपुर।


विषय:- Diversion of 248.5515 ha. Of forest land in favour of DMG, Rajasthan in Pahadpur Block A & B for mining and generation of employment and generation of District in the State of Rajasthan (FP/RJ/MIN/149012/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पहाडपुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए एवं बी के क्षेत्र 248.5515 हैक्टेयर के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/MIN/149012/2021 के संबंध में जारी EDS दिनांक 04.05.2022 की पालना रिपोर्ट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(पिंकराव सिंह)

सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।

कैम्प-जयपुर

दिनांक:- 06.05.2022


क्रमांक:-सम/

प्रतिलिपि श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, भरतपुर-वृत्त, भरतपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।

The Following Observations are found in the Proposal No. FR/RJ/MIN/149012/2021 Dated 04.05.2022 and Compliance which need to be replied or rectified by user agency

S.No.	Observations	Compliance
1	CA scheme Should be given for amount 688.67 lacs as proposed. Amount of forest protection wall should be taken as additional expenditure. it is not part of CA	इस कार्यालय से अपेक्षित नहीं है।
ii	Mining Plan is not Uploaded	उक्त बिन्दु की पालना में माइनिंग प्लान पुनः अपलोड कर दिया गया है। साथ ही उक्त माइनिंग प्लान की तीन प्रति उपवन संरक्षक भरतपुर को दी गई।
iii	The kml of safety zone indicating the area proposed for safety zone has not been submitted, which is required to be done. Should be inside the forest land proposed for diversion	उक्त बिन्दु की पालना में KML पुनः अपलोड कर दी गई है। सैफ्टी जोन की KML को श्यान कलर (CYAN COLOUR) से मार्क किया गया है। जायवर्जन हेतु आवेदित क्षेत्र में विभाग द्वारा खनन पट्टो का माइनिंग प्लान अलग से अनुमोदन किया जावेगा जिसमें खनन पट्टा के परिधि में 7.5 मीटर सैफ्टी जोन का प्रावधान किया जावेगा।


 सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास
 जिला भरतपुर